तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/10/25	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद में पुलिस थाना धोरीमन्ना के प्रकरण संख्या 112/2023 राज्य बनाम पन्नाराम व अन्य में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा ब्लाजो टैंकर संख्या आरजे-06, जीसी-3016 मय पेट्रोलियम पदार्थ 29000 लीटर बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रंय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 (अवलोकनार्थ संलग्न) का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दर्ज किया गया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.05.2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा टैंकर मय माल सुपुर्दगी पर लिये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 05.06.2023 को प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र चुन्नीलाल जाति भील निवासी भील बस्ती आंगणवा के खास मुख्तयार भरत जैन पुत्र मनोज कुमार जैन निवासी 649, 12वी सी रोड़, सरदारपुरा जोधपुर द्वारा जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश पारित किया गया तथा इस आदेश की अनुपालना में दिनांक 08.06.2025 को प्रार्थी को वाहन मय माल सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। इस आदेश की पालना में थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना को इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 379 दिनांक 08.06.2023 द्वारा वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ प्रार्थी स्वामी को सुपुर्द कर रसीद इस न्यायालय में भिजवाने हेतु अहकाम जारी किया गया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को पत्र क्रमांक 383 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा धारा 6(A) आवश्यक वस्तु अंधिनियम 1955 इस्तागासा के अभाव में प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं होने से संबंधित को निर्देशित कर इस न्यायालय को इस्तगासा भिजवाये जाने हेतु लिखा गया। पुलिस अधीक्षक अथवा थानाधिकारी पुलिस थाना धोरीमन्ना की ओर से करीब 2 वर्ष की समयावधि गुजरने के बाद भी धारा 6(A) का परिवाद प्रस्तुत नहीं किया हैं। अतः यह प्रकरण इसी प्रक्रम में समाप्त किया जाता हैं तथा प्रकरण में जब्तशुदा एवं वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिये गये वाहन महिन्द्रा ब्लाजो टैंकर संख्या आरजे-06, जीसी-3016 मय पेट्रोलियम पदार्थ 29000 लीटर बाबत प्रार्थी वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से [illegible] किया जाता हैं। यह पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:58 IST
Reason: SelfAttested